भेदभाव

कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान

Complete Study Notes

सीखने के उद्देश्य

इस अध्याय में विद्यार्थी पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाओं, भेदभाव तथा समानता के अर्थ को समझेंगे। वे जानेंगे कि अनुचित व्यवहार समाज और व्यक्तियों को किस प्रकार प्रभावित करता है, डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान का अध्ययन करेंगे तथा समझेंगे कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर कैसे प्रदान करता है।

परिचय

प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, गरिमा और समान व्यवहार का अधिकारी है। फिर भी कई बार लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रूप-रंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर अनुचित व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के अनुचित व्यवहार को भेदभाव कहते हैं, जो समाज में असमानता उत्पन्न करता है। यह अध्याय बताता है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएँ किस प्रकार भेदभाव को जन्म देती हैं तथा समानता लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण मूल्य क्यों है।

पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएँ

पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी के बिना पहले से ही नकारात्मक या गलत राय बना लेना। ऐसी धारणाएँ वास्तविक तथ्यों के बजाय गलत मान्यताओं पर आधारित होती हैं।

रूढ़िबद्ध धारणाएँ किसी समूह के बारे में निश्चित और सीमित सोच होती हैं। उदाहरण के लिए, यह मान लेना कि केवल लड़के ही बहादुर होते हैं या लड़कियाँ केवल घर का काम कर सकती हैं। ऐसी धारणाएँ व्यक्तियों की वास्तविक प्रतिभा और क्षमताओं को पहचानने में बाधा बनती हैं। हर व्यक्ति का सम्मान उसकी योग्यता और व्यक्तित्व के आधार पर किया जाना चाहिए।

भेदभाव और सामाजिक असमानता

जब पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएँ व्यवहार का रूप ले लेती हैं, तब भेदभाव उत्पन्न होता है। इसके कारण लोगों को शिक्षा, रोजगार, आवास तथा सार्वजनिक सुविधाओं में समान अवसर नहीं मिल पाते।

भारत में जाति व्यवस्था से जुड़ी अस्पृश्यता भेदभाव का सबसे गंभीर रूप थी। विशेषकर दलित समुदाय को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ा। इससे समाज में गहरी असमानताएँ उत्पन्न हुईं और लाखों लोगों के लिए अवसर सीमित हो गए।

डॉ. भीमराव अंबेडकर और समानता

> **न्याय के लिए एक अनवरत संघर्ष:** डॉ. भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार, ने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए समर्पित किया। बचपन में स्वयं जातिगत भेदभाव का अनुभव करने के कारण उन्होंने समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके विचार आज भी समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं।

समानता और संवैधानिक अधिकार

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है तथा धर्म, जाति, लिंग, भाषा, नस्ल और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया है।

प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, रोजगार, धर्म का पालन करने, अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त है। ये संवैधानिक मूल्य लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

समानता का महत्व

समानता समाज में सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। यह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देती है और एक न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को सदैव सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. पूर्वाग्रह क्या है?
2. रूढ़िबद्ध धारणाएँ क्या हैं? एक उदाहरण दीजिए।
3. भेदभाव क्या है?
4. अस्पृश्यता क्या थी?
5. भारतीय संविधान समानता को कैसे सुनिश्चित करता है?

उत्तर

- **उत्तर 1:** पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी के बिना पहले से ही गलत या नकारात्मक राय बना लेना।
- **उत्तर 2:** रूढ़िबद्ध धारणाएँ किसी समूह के बारे में बनी हुई निश्चित मान्यताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, यह मानना कि लड़कियाँ केवल घर का काम कर सकती हैं, एक रूढ़िबद्ध धारणा है।
- **उत्तर 3:** भेदभाव वह अनुचित व्यवहार है जो धर्म, जाति, लिंग, भाषा, नस्ल या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों के साथ किया जाता है।
- **उत्तर 4:** अस्पृश्यता एक सामाजिक प्रथा थी जिसमें कुछ समुदायों, विशेषकर दलितों, को हीन समझकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखा जाता था।
- **उत्तर 5:** भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, भेदभाव पर रोक लगाता है, अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।